



बीकानेर नगर निगम

नगर निगम मार्ग, बीकानेर (राज0) फ़ैक्स नं :- 0151-2226906, फोन नं :-0151-2226902, 0151-2226905,

EMAIL ADDRESS :- bikanernagarnigam@gmail.com, Website :- bikanermc.org

क्रमांक – अन्य राजस्व/2017 - 681

दिनांक – 11/11/2017

नीलामी सूचना

बीकानेर नगर निगम के द्वारा पार्किंग स्थल (स्वीकृत नक्शे के अनुसार) का ठेका खूली नीलामी द्वारा अवधि दिनांक 15.02.2017 से 14.02.2018 तक (एक वर्ष) निगम मुख्य कार्यालय में निम्नानुसार आयोजित किया जावेगा। खूली नीलामी दिनांक को अंतिम उच्चतम बोली स्वीकार योग्य प्राप्त न होने की स्थिति में बोली अगले कार्य दिवस को निरन्तरता में जारी रहेगी।

क्र. स	पार्किंग स्थल	धरोहर राशि	आरक्षित दर	दिनांक एवं समय
1	राजीव गांधी मार्ग अणचा बाई अस्पताल के पीछे, पुरानी जेल रोड़ के पास	50,000रु.	70,000रु.	दिनांक 30.01.2017 को प्रातः 11:30 बजे से 2:30 बजे तक

ईच्छुक व्यक्ति/फर्म उपरोक्तानुसार धरोहर राशि नीलामी दिनांक को प्रातः 11:30 बजे तक जमा करवाकर नीलामी में भाग ले सकता है। उच्चतम बोलीदाता को बोली की 1/4 राशि नीलामी समाप्ति पर उसी दिन निगम कोष में जमा करवानी होगी। नीलामी शर्तें व अन्य विवरण किसी भी कार्य दिवस को निगम कार्यालय के अन्य राजस्व अनुभाग (कमरा नं 23) व निगम की वेबसाईट www.bikanermc.org पर देखी जा सकती है। पार्किंग स्थल पर अस्थायी बेरीकेट्स की व्यवस्था स्वयं संवेदक के द्वारा ही की जायेगी।


उपायुक्त
बीकानेर नगर निगम



बीकानेर नगर निगम

नगर निगम मार्ग, बीकानेर (राजस्थान) फ़ैक्स :- 0151-2226906, फोन :- 0151-2226902, 0151-2226905
E-Mail Address :- bikanernagarnigam@gmail.com, Web Site :- www.bikanermc.org

वाहन पार्किंग ठेके की शर्तें

बीकानेर नगर निगम द्वारा राजीव गांधी मार्ग अणचा बाई अस्पताल के पीछे, पुरानी जेल रोड़ के पास निर्धारित वाहन पार्किंग (स्वीकृत नक्शे अनुसार) हेतु वाहन स्टेण्ड प्रबंधन के ठेके को खुली नीलामी द्वारा आयोजित किया जायेगा, जिसकी शर्तें निम्नानुसार होगी :-

1. ठेके की अवधि दिनांक 15.02.2017 से 14.02.2018 (एक वर्ष) तक होगी।
2. खुली नीलामी में भाग लेने से पूर्व प्रत्येक बोलीदाता को धरोहर राशि 50000 रु. निगम कोष में जमा कराने होंगे। उच्चतम बोली की धरोहर राशि बोलीदाता को ठेका अवधि समाप्त होने के पश्चात् ही लौटाई जायेगी। द्वितीय उच्चतम बोलीदाता की धरोहर राशि 15 दिवस के पश्चात् वापस की जायेगी। नीलामी की अंतिम बोली स्वीकृत या अस्वीकृत करने का अधिकार नगर निगम का होगा तथा उसका कारण बताया जाना आवश्यक नहीं होगा।
3. नीलामी के पश्चात् उच्चतम बोली स्वीकृत होने की स्थिति में उच्चतम बोलीदाता को बोली की एक चौथाई राशि नीलामी समाप्ति पर उसी दिन निगम कोष में जमा करानी होगी तथा शेष राशि खुली नीलामी दिनांक से 30 दिवस के अंदर जमा करानी होगी। निर्धारित अवधि में राशि जमा कराने में असफल रहने पर बोलीदाता द्वारा जमा कराई गई समस्त राशि जब्त कर ली जावेगी। ऐसे बोलीदाता/फर्म को पुनः नीलामी में भाग लेने के लिए अयोग्य घोषित कर दिया जावेगा।
4. संवेदक द्वारा ऐसा कोई कार्य नहीं किया जाएगा, जिससे कि निगम सम्पत्ति को खतरा/नुकसान पहुँचता हो। यदि निगम संपत्ति को किसी भी प्रकार से खतरा/नुकसान पहुँचना पाया गया तो इसकी वसूली संवेदक से की जायेगी एवं कानूनी कार्यवाही भी पृथक् रूप से की जा सकेगी। नगर निगम संपत्ति की देखरेख का समस्त दायित्व संवेदक का होगा।
5. संवेदक द्वारा प्रथम वर्ष के लिए देय समस्त राशि जमा करा दिये जाने पर कार्यादेश जारी होने की दिनांक से 30 दिवस के भीतर अनुबंध निष्पादन हेतु नियमानुसार नॉन ज्यूडिशियल स्टाम्प प्रस्तुत करना आवश्यक होगा।
6. संवेदक द्वारा मौके पर यदि किसी मरम्मत, सुधार व निर्माण की आवश्यकता हो तो इस प्रकार का कोई भी तकनीकी कार्य अधिशाषी अभियंता नगर निगम से संपर्क कर इनके निर्देशानुसार करना होगा, किंतु मूल संरचना से किसी प्रकार की छेड़छाड़ नहीं की जावेगी। इस हेतु किया गया समस्त खर्च संवेदक द्वारा ही वहन किया जावेगा।
7. इस नगर निगम के अधिकारी/कर्मचारी एवं अन्य राजकीय वाहनों को छोड़कर संवेदक द्वारा सर्वसाधारण से निम्न किराया वसूल किया जाएगा :-

क्र०स०	वाहन	राशि (प्रति वाहन)	
		प्रातः कालीन	रात्रि कालीन
1.	साईकिल	5 रु.	10 रु.
2.	दुपहिया व तिपहिया वाहन	10 रु.	20 रु.
3.	कार/जीप/चौपहिया वाहन	20 रु.	40 रु.

- पार्किंग परिसर में लोगों द्वारा स्टेण्ड पर दिन में दो बार से अधिक वाहन जमा करवाने अथवा ले जाने पड़ते हैं, जिसके लिए प्रत्येक 12 घंटे के हिसाब से वाहन पार्किंग हेतु निम्नानुसार राशि वसूल की जाएगी, जिसका पास संवेदक द्वारा पृथक् से जारी किया जाएगा :-

क्र०स०	वाहन	राशि (प्रति वाहन)
1.	साईकिल	10 रु.
2.	दुपहिया एवं तिपहिया वाहन	20 रु.
3.	कार/जीप/चौपहिया वाहन	40 रु.

- तीन दिन तक किसी व्यक्ति द्वारा अपना वाहन नहीं ले जाने पर संवेदक द्वारा वाहन निकटतम थाने में जमा करवाकर नगर निगम कार्यालय में सूचना दी जाएगी।
- उक्त राशि से ज्यादा राशि लेने पर यदि कोई शिकायत प्राप्त हुई/निम्न हस्ताक्षरकर्ता के ध्यान में आई तो ठेका निरस्त करने की कार्यवाही अमल में लाई जा सकेगी।

नोट :- दिन का समय प्रातः 6:00 AM से 8:00 PM तक होगा एवं रात्रिकालीन समय रात 8:00 PM से प्रातः 6:00 AM तक होगा।

8. सर्व साधारण द्वारा अपना वाहन स्टेण्ड पर जमा करवाने पर संवेदक द्वारा एक कूपन दिया जायेगा, जिस पर संवेदक का नाम, टोकन नं0, निर्धारित शुल्क, किस्म वाहन व नम्बर एवं समय आदि अंकित होगा।
9. पार्किंग स्थल की साफ-सफाई की जिम्मेदारी संवेदक की होगी।
10. नगर निगम की ओर से यदि कोई सामान दिया जायेगा तो उसके बारे में उन्हें सुरक्षित रखने का उत्तरदायित्व संवेदक का होगा और उसमें टूट फूट होने की दशा में संवेदक उन्हें रिपेयर/नया करवा कर लौटायेगा अन्यथा उसकी मरम्मत का मूल्य जमा शुदा राशि में से काट लिया जायेगा।
11. संवेदक इस ठेके को किसी अन्य व्यक्ति को सबलेट अथवा स्थानान्तरण नहीं कर सकेगा।
12. संवेदक के संरक्षण में वाहन खो जाने पर वाहन आदि का उचित मूल्य देना होगा। नगर निगम स्तर का समस्त बकाया निपटारा नहीं होने तक जमा धरोहर राशि वापिस नहीं होगी। वाहन गुम हो जाने पर समस्त दायित्व संवेदक का होगा, इसमें नगर निगम की किसी भी प्रकार से कोई जिम्मेदारी नहीं होगी।
13. संवेदक को नगर निगम, बीकानेर द्वारा समय-समय पर जारी आदेशों की पालना करनी होगी।
14. संवेदक को ठेका चलाने के लिये स्वयं कर्मचारियों की व्यवस्था करनी होगी। जिसकी सूची मय बायोडाटा एवं फोटो सहित कार्यालय में जमा करवानी होगी। संवेदक द्वारा स्टेण्ड कर्मचारी को परिचय-पत्र जारी किया जायेगा, जिसे पहनकर रखना अनिवार्य होगा। रखरखाव की संपूर्ण जिम्मेदारी संवेदक की स्वयं की होगी। कोई भी कर्मचारी किसी भी प्रकार का नशा (शराब आदि) करके पार्किंग स्थल पर नहीं बैठेगा व संवेदक के कर्मचारियों द्वारा किये गये कार्य की समस्त जिम्मेदारी संवेदक की होगी।
15. आयुक्त, उपायुक्त तथा उनके द्वारा अधिकृत कोई भी व्यक्ति अचानक ठेके की जाँच कर सकता है कि क्या संवेदक द्वारा नियमों का कठोरता से पालन किया जा रहा है अथवा नहीं, ठेके की शर्तों के विरुद्ध कार्य करता हुआ पाये जाने पर या संवेदक का व्यवहार ठीक नहीं होने पर अमानत राशि जब्त कर ली जाएगी एवं ठेके को निरस्त भी किया जा सकता है।
16. ठेके की किसी भी शर्त या नियम का उल्लंघन करते हुए पाये जाने पर संवेदक पर प्रत्येक उल्लंघन के लिए न्यूनतम राशि 200 रु. से अधिकतम 1000 रु. तक की शास्ति भी लगाई जा सकेगी।
17. समस्त विवादों में आयुक्त, नगर निगम, बीकानेर का निर्णय अंतिम होगा व न्याय क्षेत्र बीकानेर होगा।
18. किसी भी प्राकृतिक विपदा पर वाहन जो संवेदक की सुरक्षा में रखे गये हैं कि हानि होने पर उसका हर्जाना भरने की जिम्मेदारी संवेदक की होगी, इस हर्जाने की भरपाई के लिये संवेदक चाहे तो स्टेण्ड का बीमा करवा सकता है। बीमे की किस्त का वहन संवेदक को करना होगा।
19. संवेदक को ठेका प्रारंभ से पूर्व सभी स्टेण्ड के लिये 2x2 फुट के बोर्ड पर स्पष्ट शब्दों में इस कार्यालय द्वारा दिये गये निर्देशों को लिखना होगा एवं दरें भी लिखवानी अनिवार्य होगी। बोर्ड संवेदक को स्वयं के खर्च पर बनवाने होंगे।
20. संवेदक द्वारा प्रत्येक स्टेण्ड के गेट पर यह लिखवा कर लगाना होगा कि शिकायत पुस्तिका पार्किंग स्टेण्ड पर उपलब्ध है। शिकायत पुस्तिका आवश्यक रूप से संधारित की जानी होगी।
21. नगर निगम द्वारा निर्धारित स्थान से अधिक स्थान निविदादाता घेरता है तो ठेका निरस्त कर दिया जायेगा।
22. केन्द्र/राज्य सरकार/अन्य विभाग को देय या अन्य किसी भी प्रकार से देय कर/शुल्क (प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से) का भुगतान करने का समस्त दायित्व संवेदक का रहेगा।
23. संवेदक द्वारा उक्त सभी शर्तों का पालन किया जाना अनिवार्य होगा।



उपायुक्त
नगर निगम, बीकानेर